राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली

13 जुलाई, 2020

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>वित्त वर्ष 2020 के दौरान रा.आ.बैंक के पुनर्वित्त संवितरण में रिकॉर्ड 24% की वृद्धि</u>

राष्ट्रीय आवास बैंक, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वधीन एक विकासात्मक वित्तीय संस्थान है, जो अपना 32वां स्थापना दिवस मना रहा है। रा.आ.बैंक, आवास वित्त हेतु शीर्ष संस्थान है जिसका परिचालन 9 जुलाई, 1988 को प्रारंभ हुआ तथा जैसा कि हम आज हम इसे देखते हैं इसने आवास वित्त क्षेत्र के विकास तथा संस्थापन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अपने 32वें वित्तीय वर्ष 2019-20 (जुलाई 2019 - जून 2020) के दौरान, बैंक ने पीएमएवाई-सीएलएसएस (शहरी), के अंतर्गत केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में अन्य उपलब्धियों के साथ-साथ वित्तीय सहायता के संवितरण, पर्यवेक्षी पहल एवं इसके कार्य-निष्पादन के संबंध में कई मील के पत्थर स्थापित किये हैं।

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा कुल पुनर्वित्त संवितरण में अपनी विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं अर्थात उदारीकृत पुनर्वित्त योजना (एलआरएस), चलनिधि अंतर्वेशन सुविधा (लिफ्ट), विशेष पुनर्वित्त सुविधा (एसआरएफ), किफायती आवास निधि (एएचएफ), हरित आवास आदि के अंतर्गत 31,250 करोड़ रु. से अधिक के रिकॉर्ड स्तर को प्राप्त करते हुए पुनर्वित्त संवितरण में वर्ष दर वर्ष 24% की वृद्धि हुई। आ.वि.कं. की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किये गये कुल संवितरण में से 88% संवितरण आवास वित्त कंपनियों को किया गया तथा ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनमें से 30 आवास वित्त कंपनियां ऐसी थी जिनका ऋण बही का आकार 1000 करोड़ रु. से कम था। बैंक की पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत लायी गयी 22 नयी आवास वित्त कंपनियों तथा 4 स्मॉल फाइनेंस बैंकों के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक का पुनर्वित्त पोर्टफोलियो वर्ष-दर-वर्ष 20% की वृद्धि किया है।

इस अवधि के दौरान, राष्ट्रीय आवास बैंक ने पीएमएवाई - सीएलएसएस (शहरी) के अंतर्गत केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के माध्यम से 3.32 लाख परिवारों को 7,571 करोड़ रु. का संवितरण किया है। संचयी रूप से, यथा 30 जून, 2020 को रा.आ.बैंक ने सीएनए के रूप में 9.55 लाख परिवारों को 21,633 करोड़ रु. की सब्सिडी का संवितरण किया है। ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना (आरएचआईएसएस) के अंतर्गत, 30 जून, 2020 तक रा.आ.बैंक ने लाभांवित 2,733 लाभार्थी परिवारों को 8.36 करोड़ रु. की सब्सिडी संवितरित की है।

यह सुनिश्चित करने हेतु कि क्षेत्र के कार्मिकों के पास अपेक्षित कौशल एवं ज्ञान हो, रा.आ.बैंक ने संपूर्ण भारत में आवास वित्त कंपनियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं स्मॉल फाइनेंस बैंकों के 215 से अधिक प्रतिभागियों के साथ 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। आवास वित्त कंपनियों की महिला अधिकारियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर संचालित किया गया था।
रा.आ.बैंक ने अपने कॉर्पोरेट सामजिक दायित्व (सीएसआर) पहल के भाग के रूप में, पीएमकेयर्स फंड में 2.5 करोड़ रु. की राशि का योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, एक दिन के वेतन अर्थात 3.80 लाख रु. का योगदान दिया गया।

दशकों से रा.आ.बैंक का प्रयास, विशेष रूप से किफायती आवास खंड में अंतिम ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ठोस एवं और स्थिरता के साथ आवास वित्त प्रणाली के विकास की ओर रहा है। रा.आ.बैंक ने यह सुनिश्चित किया है कोविड - 19 महामारी के कारण भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित विनियामक एवं वित्तीय दोनों उपायों को सार्थक रूप में कार्यान्वयित किया जाये, जिसके चलते इस क्षेत्र पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत, रा.आ.बैंक को आवास वित्त क्षेत्र की सर्वव्यापी महामारी संबंधी चलनिधि संबंधी समस्याओं को दूर करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 10,000 करोड़ रु. की विशेष चलनिधि सुविधा प्रदान की गई थी। समय की आवश्यकता को समझते हुए, रा.आ.बैंक ने 53 आवास वित्त कंपनियों, ,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं स्मॉल फाइनेंस बैंकों को 9,992 करोड़ रु. संस्वीकृत किए हैं, जिसमें से 9,537 करोड़ रु. 30 जून 2020 से

पहले संवितरित किए गए थे। यह उल्लेख करना उचित है कि मार्च से जून 2020 तक 4 महीने की अवधि के दौरान रा.आ.बैंक ने आ.वि.कं. को ही 25,000 करोड़ रु. से अधिक की कुल पुनर्वित्त सहायता प्रदान की थी।

बैंक अपने अधिदेश के प्रति प्रतिबद्ध है तथा किफायती आवास वित्त गरीबों एवं ज़रूरतमंदों तक पहुँचाकर सबके लिए आवास के भारत सरकार के उद्देश्य हेतु कार्य करना जारी रखेगा।

****